पर्यटन निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

सी–13, विपिन खंड, गोमती नगर,
लखनऊ।

सं0 ——— /15–1–1576/(ट्रै0ट्रे0)/2018 दिनाँकः27 अक्टूबर, 2018

—: कार्यालय आदेश :—

मै0 किम्बर्ले क्लब प्रा0लि0 लखनऊ द्वारा सूरज कुण्ड मेले में वाराणसी घाट की प्रतिकृति के निर्माण हेतु निविदा सं0 011 टी0टी0 2017 के कम में प्रस्तुत निविदा पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए न्यूनतम दरदाता के रूप में कार्यालय के पत्र सं0 6449 दिनांक 08–01–2018 द्वारा कार्य आवंटित किया गया था। फर्म ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत दरों पर कार्य करने में असमर्थता अपने ई–मेल पत्र दिनांक 08–01–2018 द्वारा प्रस्तुत की तथा असमर्थता का कारण तकनीकी दर्शाया। उपरोक्त के दृष्टिगत विभाग द्वारा दि011–01–2018 को निर्णय लेते हुये में0 किम्बर्ले क्लब प्रा0लि0 लखनऊ की अर्नेस्ट मनी रू0–125000/–जब्त करते हुये फर्म को ब्लैक लिस्ट किया गया।

विभाग के उपरोक्त निणर्य के संन्दर्भ में मे0 किम्बर्ले क्लब प्रा0लि0 लखनऊ ने अपना प्रत्यावेदन दिनांक 04–07–2018 एवं दिनांक 05–09–2018 प्रस्तुत किया, जिसमें विभाग को हुई असुविधा के लिये खेद प्रकट करते हुये क्षमा याचना की गई तथा पूर्व में विभाग में सम्पादित किये गये कार्यों के दृष्टिगत ब्लैक लिस्ट न करने का अनुरोध किया गया।

प्रकरण में फर्म द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन बलहीन पाते हुये कार्यालय आदेश सं0–3990/15–1–1576/ट्रै0ट्रे0/2018, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 द्वारा प्रत्यावेदन अस्वीकार कर विभाग द्वारा दिनांक 11 जनवरी, 2018 को मेसर्स किम्बर्ले क्लब प्रा0 लि0 की ई0एम0डी0 जब्त करने एवं फर्म को ब्लैक लिस्ट करने के निर्णय को यथावत जारी रखने का आदेश पारित किया गया।

उक्त प्रकरण में सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा जारी आदेश सं0 3990/15–1–1576 /ट्रै0ट्रे0/2018, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 को एतद्द्वारा वापस लिया जाता है।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।

पृ0प0सं0:: 4796 /2018–19, समदिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मै0 किमबर्ले क्लब प्रा0लि0, के–1, आशियाना, लखनऊ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 सरकार।
3. उप सचिव, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(अवनीश कुमार अवस्थी)
महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0।